रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2019/ज्येष्ठ 28, 1941
No. 363] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2019/JYAISTHA 28, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2019

संख्या 24/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि.**432** (अ). — जब कि बंग्लादेश या नेपाल (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित **"**जूट उत्पाद**"** जैसे कि जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग्स जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 5307, 5310, 5607 या 6305 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष वाली अधिसूचना संख्या 14/9/2015-डीजीएडी, दिनांक 20 अक्तूबर, 2016, जिसे दिनांक 20 अक्तूबर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था के तहत बंग्लादेश या नेपाल में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित **"**जूट उत्पाद**"** जैसे कि जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग्स पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी।

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार ने बंग्लादेश या नेपाल में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित **"**जूट उत्पाद**"** जैसे कि जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग्स पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 05 जनवरी,

2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017 जिसे सा.का.नि. 11(अ.), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था के तहत बंग्लादेश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित जूट सैंकिंग बैग्स के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को और आगे जारी रखने की आवश्यकता का पता लगाने के लिए तथा बंग्लादेश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "जूट सैकिंग क्लोथ" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 5310 के अंतर्गत आते हैं का आयात करने के लिए जूट सैकिंग बैग्स के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के सर्कमवेन्शन के मामले में अधिसूचना संख्या 7/3/2018- डीजीएडी, दिनांक 20 मार्च, 2018 के तहत जांच कार्य शुरू किया था।

और जहां कि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में अधिसूचना संख्या 7/3/2018-डीजीएडी, दिनांक 19 मार्च, 2019 के तहत प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि,-

(i) प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने के बाद से सैकिंग क्लोथ का आयात बढ़ गया है,

(ii) सैकिंग क्लोथ से सैकिंग बैग्स बनाने में जो मूल्य संवर्द्धन होता है वह सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 में निर्धारित 'थ्रेसोल्ड' सीमा से बहुत कम है,

(iii) सैकिंग क्लोथ आयात से सैकिंग बैग्स पर अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017 जिसे सा.का.नि के. 11(अ.), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा अपनाए गए प्रतिपाटन उपायों के उपचारात्मक प्रभावों को कम कर दिया है।

और उन्होंने अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के द्वारा जूट सैकिंग बैग्स पर लगाए गए वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को जूट सैकिंग क्लोथ पर भी लगाए जाने की सिफारिश की है;

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 27 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा धारा 9क की उप धारा (1), (1क) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आता है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर, कॉलम (10) की

तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (10) की ही तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	विशिष्टता	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	5310	सैकिंग क्लोथ	सभी रूपों के और विशिष्टता वाले	बंग्लादेश	बंग्लादेश	हसन जूट मिल्स लिमिटेड	हसन जूट मिल्स लिमिटेड	शून्य	अमेरिकी डालर/मै.टन
2.	5310	सैकिंग क्लोथ	-तदैव-	बंग्लादेश	बंग्लादेश	जनता जूट मिल्स लिमिटेड	जनता जूट मिल्स लिमिटेड	125.21	अमेरिकी डालर/मै.टन
3.	5310	सैकिंग क्लोथ	-तदैव-	बंग्लादेश	बंग्लादेश	उत्पादक जिनकी डम्पिंग मार्जिन नीचे दी गई सूची के अनुसार नगण्य/ऋणात्मक है*		शून्य	अमेरिकी डालर/मै.टन
4.	5310	सैकिंग क्लोथ	-तदैव-	बंग्लादेश	बंग्लादेश	उत्पादक/निर्यातक, नीचे दी गई सूची के अनुसार जिनका नमूना नहीं लिया गया**		125.21	अमेरिकी डालर/मै.टन
5.	5310	सैकिंग क्लोथ	-तदैव-	बंग्लादेश	बंग्लादेश	उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 4 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई संयोजन		138.97	अमेरिकी डालर/मै.टन
6.	5310	सैकिंग क्लोथ	-तदैव-	बंग्लादेश	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	138.97	अमेरिकी डालर/मै.टन
7.	5310	सैकिंग क्लोथ	-तदैव-	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न अन्य कोई देश	बंग्लादेश	कोई भी	कोई भी	138.97	अमेरिकी डालर/मै.टन

* उन उत्पादकों की सूची जिनकी डंपिंग मार्जिन नगण्य/ऋणात्मक है:

(1) मैसर्स मोना जूट मिल्स लिमिटेड लिमिटेड

(2) मैसर्स अरनु जूट मिल्स लिमिटेड

(3) मैसर्स रहमान जूट मिल्स (प्राईवेट) लिमिटेड

(4) मैसर्स जमना जूट मिल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(5) मैसर्स सागर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड

(6) मैसर्स सीडलॉ टेक्सटाईल्स **(**बंग्लादेश**)** लिमिटेड मैसर्स

(7) मैसर्स पारटेक्स जूट मिल्स लिमिटेड बंग्लादेश

(8) मैसर्स आशा जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

(9) मैसर्स नवहाटा जूट मिल्स लिमिटेड

(10) मैसर्स माईमैनसिंह जूट मिल्स लिमिटेड

** उन उत्पादकों/निर्यातकों की सूची जिनका नमूना नहीं लिया गया:

(1) रहमान जूट मिल्स (प्राईवेट) लिमिटेड

(2) शमशेर जूट मिल्स लिमिटेड

(3) गोल्डन जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

(4) पूर्वी ट्रेडिंग

(5) सोनाली अंश ट्रेडिंग (प्राईवेट) लिमिटेड

(6) राजबारी जूट मिल्स लिमिटेड

(7) नवपाड़ा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

(8) नवपाड़ा जूट मिल्स लिमिटेड

(9) ऊषा जूट स्पिनर्स लिमिटेड

(10) बी.एस. जूट स्पिनर्स लिमिटेड (BSJSL)

(11) मदीना जूट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

(12) नादर्न जूट मैन्युफेक्जरिंग कंपनी लिमिटेड

(13) जूट स्पिनर्स लिमिटेड

(14) मैसर्स नवाब अब्दुल मलिक जूट मिल्स (बीडी) लिमिटेड"

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क नहीं लगेगा यदि-

(i) जब जूट सैकिंग बैग्स को बनाने वाले से भिन्न किसी माल विनिर्माता के द्वारा ऐसे माल का आयात किया जाता हो;

(ii) आयातकर्त्ता सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात), नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करता हो;

(iii) आयातकर्त्ता, उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को इस बात की अंडरटेकिंग देता है कि ;

(क) वह आयातित माल का प्रयोग किस वांछित उद्देश्य के लिए करेगा ;

(ख) वह आयातित जूट सैकिंग क्लोथ का प्रयोग जूट सैकिंग बैग्स को तैयार करने में नहीं किया जाएगा; और

(ग) यदि वह उपवाक्य (ख) का अनुपालन नहीं कर पाता है तो वह उतनी राशि का भुगतान करेगा जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत आयातित माल पर लगने वाले शुल्क के बराबर हो ।

3. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना संख्या 1/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11(अ.), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा जूट सैकिंग बैग्स पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के सहअवसानिक होगा । इस प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा.सं. 354/211/2016-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2019

No. 24/2019-Customs (ADD)

G.S.R. 432(E).—Whereas, in the matter of levy of anti-dumping duty on import of Jute Products namely, Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags, falling under tariff headings 5307,5310,5607 or 6305 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) [hereinafter referred to as the Customs Tariff Act], originating in or exported from Bangladesh or Nepal and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No.14/9/2015-DGAD, dated 20th October, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 20th October, 2016, had recommended imposition of the anti-dumping duty on Jute Products namely, Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and jute sacking bags originating in or exported from Bangladesh or Nepal.

And whereas, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on Jute Products namely, Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags originating in or exported from Bangladesh or Nepal, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Customs(ADD), dated the 5th January,2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 11(E), dated the 5th January 2017;

And whereas, the designated authority *vide* notification No.7/3/2018-DGAD, dated the 20th March 2018., in the matter of circumvention of the anti-dumping duty imposed on imports of jute sacking bags, had initiated an investigation to determine the need for extending anti-dumping duty imposed on the imports of jute sacking bags originating in or exported from Bangladesh, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Customs(ADD), dated the 5th January.2017, published vide number G.S.R. 11(E), dated the 5th January 2017, to the imports of "Jute sacking cloth" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff heading 5310 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Bangladesh;

And whereas, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 7/3/2018-DGAD dated the 19th March 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

(i) imports of sacking cloth have increased post levy of anti-dumping duty;

(ii) the value addition in converting sacking cloth to sacking bag is much less than the prescribed threshold in the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 Rules.

(iii) the import of sacking cloth has undermined the remedial effect of existing anti-dumping measure of on sacking bags imposed vide notification No. 01/2017-Customs (ADD) dated 5the January, 2017, published vide number G.S.R. 11(E), dated the 5th January 2017.

and has recommended extension of the existing anti-dumping duty on sacking bags imposed vide aforesaid notification No. 01/2017 – Customs (ADD), dated the 5th January, 2017 on jute sacking cloth.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (1A) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rule 27 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 Rules, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (9) in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Heading	Description of goods	Specifications	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	5310	Sacking cloth	In all forms and specification	Bangladesh	Bangladesh	Hasan Jute Mills Ltd	Hasan Jute Mills Ltd	Nil	US$/MT
2.	5310	Sacking cloth	-do-	Bangladesh	Bangladesh	Janata Jute Mills Ltd	Janata Jute Mills Ltd.	125.21	US$/MT
3.	5310	Sacking cloth	-do-	Bangladesh	Bangladesh	Producers whose dumping margin is de-minimis/ negative as per list below*		Nil	US$/MT
4.	5310	Sacking cloth	-do-	Bangladesh	Bangladesh	Non Sampled Producers/ exporters as per list below**		125.21	US$/MT
5.	5310	Sacking cloth	-do-	Bangladesh	Bangladesh	Any combination other than mentioned in Sl. Nos. 1 to 4 above		138.97	US$/MT
6.	5310	Sacking cloth	-do-	Bangladesh	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Any	Any	138.97	US$/MT
7.	5310	Sacking cloth	-do-	Any country	Bangladesh	Any	Any	138.97	US$/MT

				other than those subject to anti-dumping duty					

* List of producers whose dumping margin is de-minimis/ negative:

(1) M/s Mouna Jute Mills Ltd.
(2) M/s Arnu Jute Mills Ltd.
(3) M/s Rahman Jute Mills (Pvt.) Ltd.
(4) M/s Jamuna Jute Mills Industries Ltd.
(5) M/s Sagar Jute Spinning Mills Ltd.
(6) M/s Sidlaw Textiles (Bangladesh) Ltd.
(7) M/s Partex Jute Mills Ltd. Bangladesh
(8) M/s Asha Jute Industries Ltd.
(9) M/s Nawhata Jute Mills Ltd.
(10) M/s Mymensingh Jute Mills Ltd

** List of non-sampled producers/exporters:

(1) Rahman Jute Mills (Pvt.) Ltd.

(2) Shamsher Jute Mills Ltd.

(3) Golden Jute Industries Ltd.

(4) Purabi Trading

(5) Sonali Aansh Trading (Pvt.) Ltd.

(6) Rajbari Jute Mills Ltd.

(7) Nowapara Packaging Industries Ltd.

(8) Nowapara Jute Mills Ltd.

(9) Usha jute Spinners Ltd.

(10) B.S. Jute Spinners Ltd. (BSJSL)

(11) Madina Jute Industries Ltd.

(12) Northern Jute Manufacturing Company Limited

(13) Jute Spinners Ltd.

(14) M/s Nawab Abdul Malek Jute Mills (BD) Ltd.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall not apply, if-

(i) the goods are imported by a manufacturer of goods, other than those making jute sacking bags;

(ii) the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty), Rules, 2017; and

(iii) the importer furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, stating as under:-

(a) the intended use for imported goods;

(b) that the imported jute sacking cloth shall not be used for conversion to jute sacking bag; and

(c) that in case he fails to comply with sub-clause (b), he shall pay an amount equal to the duty leviable, on the goods imported, under this notification.

3. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be co-terminus with the anti-dumping duty on jute sacking bags as levied *vide* aforesaid notification No. 1/2017-Customs (ADD) dated the 5th January, 2017, published vide number G.S.R. 11(E), dated the 5th January 2017, and the anti-dumping duty shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No.354/211/2016-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.19 16:19:33 +05'30'